न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

निगरानी / 2019 / उज्जैन / भू-रा0

1- पारस मल पिता नेमीचंद

2- प्रकाश चन्द्र कोठारी पिता परसमल

कोठारी निवासीगण बजाज खाना

जावरा जिला रतलाम म0 प्र0

मुख्त्याआम अवि इन्फ्रास्टक्चर्स प्राइवेट

लि0 तर्फे डायरेक्टर गिरी I गुप्ता

निवासी बी-407 यशराज रेसीडेंसी

जिला इन्दौर म0 प्र0

--- आवेदकगंण

विरूद्व

म0प्र0 शासन द्वारा

--- अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1-यहि कि श्री पारसमल पिता नेमी चंद आदि निवासी बजाज खाना जावरा जिला रतलाम म0 प्र0 द्वारा मु0 आ0 अवि इन्फ्रास्टक्चर्स प्राइवेट लि0 तर्फे डायरेक्टर गिरीश गुप्ता निवासी बी-407 यशराज रेसीडेंसी जिला इन्दौर म0

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

विविध 0502/2019/उज्जैन/भू.रा.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.4.19	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक शासन की ओर से श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा ग्राह्यता एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 826–एक/2014 में दिनांक 13.2.15 को आदेश पारित कर ग्राम पाण्डयाकला नागदा जिला उज्जैन स्थित भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 14.215 का पुर्ननिर्धारण राशि राजस्व वर्ष 2011–12 से देय होना आदेशित किया गया था। अतः उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी को वर्ष 2011–12 की नवीन दर से पुर्ननिर्धारण करना चाहिये था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्ननिर्धारण नहीं कर राशि वसूल की जा रही है। इस हेतु आवेदकगण ने पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 3061–अध्यक्ष/2016 प्रस्तुत किया गया, जिससे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.18 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.2.2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्ननिर्धारण नहीं किया जाकर राशि वसूली का नोटिस दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है। 2–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा जारी डायवर्सन टैक्स वसूली का सूचना पत्र कमांक 01/भू.प./री./2019 दिनांक 15.3.19 निरस्त किया जाता है।	

अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.2.15 एवं 4.4.18 को दिये गये निर्देश के पालन में वर्ष 2011–12 में प्रचलित नवीन दर से पुर्ननिर्धारण कर प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन किया जावे। उक्त कार्यवाही दो माह में संपन्न की जावे।

सदस्य